न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 14/2019 दायरा दिनांक : 21.01.2019

उनवान

गोपाल पुत्र भैरू, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-

1/1- कस्तूर चन्द पुत्र गोपाल, जाति चमार

1/2- धनराज पुत्र गोपाल, जाति चमार (मृतक)

निवासीगण किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2/1- मोहनी बाई बेवा धनराज, जाति चमार

1/2/2- पुरूषोत्तम पुत्र धनराज, जाति चमार

1/2/3- दीपू पुत्र धनराज

निवासीगण किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3- हंसराज पुत्र गोपाल, जाति चमार

1/4- रामेश्वर पुत्र गोपाल, जाति चमार

1/5- भवानीशंकर पुत्र गोपाल, जाति चमार

1/6- ममता कुमारी पुत्री गोपाल, जाति चमार

1/7- राजेश बाई पुत्री गोपाल, जाति चमार

1/8- शिमला बाई पुत्री गोपाल, जाति चमार

1/9- भैरी बाई बेवा गोपाल, जाति चमार

(मोहर: एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासीगण किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– हेमराज पुत्र श्री ग्यारसा दत्तक पुत्र रामनाथ, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– छीतर पुत्र ग्यारसया, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1– बाबूलाल पुत्र छीतरलाल

2/2– बनवारी लाल पुत्र छीतरलाल

2/3– जुगराज पुत्र छीतरलाल

2/4– राजू पुत्री छीतरलाल

2/5– मोसमी पुत्री नाबालिग जरिये वली माता नारायणी

2/6– जानकी पुत्री छीतरलाल

2/7– फिलवन्दा नाबालिग जरिये वली माता नारायणी

2/8– नारायी बेवा छीतरलाल

जातियान चामार, निवासीगण ग्राम किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– देवकन्या पत्नी लटूरलाल, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– समदरा बाई पत्नी श्री मजना पुत्री ग्यारस्या, जाति चमार, निवासी रावल जालव, तहसील मांगरोल, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

5– कमलेश बाई पुत्री ग्यारस्या, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– कलावती बाई पत्नी श्री महावीर पुत्री ग्यारस्या, जाति चमार, निवासी माल बममोरी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– इन्द्रा बाई पत्नी श्री शम्भू पुत्री श्री ग्यारस्या, जाति चमार, निवासी खेड़ली रूण, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

8– मनभर पुत्री ग्यारस्या, जाति चमार, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन.के.गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं.1 ने अपीलांट व अन्य के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम किशनपुरा में भैरू, रामनाथ, ग्यारस्या और बिरधा का नाम जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में दर्ज हो

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टैलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रहा है। उपरोक्त खातेदारान के आराजी खसरा नं. 217 रकबा 14 बिस्वा सोयम, खसरा नम्बर 213 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा सरे सोयम, खसरा नम्बर 345 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा उतार अव्वल, खसरा नम्बर 449 रकबा 13 बिस्वा खेड़ा, खसरा नम्बर 526 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा सरे सोयम, खसरा नम्बर 529 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा, सरे सोयम खसरा नम्बर 373/641 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सरे सोयम मेर घास और खसरा नम्बर 581/781 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा कुल 79 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज हो रही है, सभी खातेदार का हिस्सा बराबर जमाबंदी में दर्ज है। यह कि जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 तक मैं भैरू की जगह 1/4 हिस्से में घीसी बेवा भैरू, गोपाल, श्रवण पुत्र भैरू का नाम दर्ज हो रही है जबकि 3/4 में रामनाथ, ग्यारस्या और बिरधा का नाम दर्ज हो रहा है। स्व0 रामनाथ के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 216/955 रकबा 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 238/957 हेक्टर कुल 3.04 हेक्टर दर्ज हो रहा है । यह कि पारिवारिक सजरे अनुसार चारों भाइयों भैरू, ग्यारस्या, बिरधा व रामनाथ का नाम जमाबंदी संवत 2026–2029 में दर्ज है व हिस्सा बराबर है, भैरू के फौत हो जाने पर उसकी जगह घीसी बेवा गोपाल और श्रवण पुत्र को वारिस बनाया गया है। बिरधा और रामनाथ लाऔलाद थे और इन दोनों ने अपने भाइयों के लड़के छीतर व हेमराज को बचपन से गोद ले रखा था इस तरह छीतर, बिरधा का दत्तक पुत्र था और रामनाथ ने हेमराज को अपना पुत्र मानते हुए वसीयत कर रखी थी तथा रामनाथ ने दिनांक 10.05.1990 को गवाहान के समक्ष वादी के पक्ष में वसीयत कर दी थी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि छीतर और हेमराज बचपन से ही क्रमशः बिरधा व रामनाथ के पास रहते थे इसकी शादी,

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवाह, लालन–पोषण आदि सभी इन्हीं लोगों ने किया। कानूनन मृतक रामनाथ का वादी उत्तराधिकारी है और मृतक रामनाथ के हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्याय संगत होगा, ग्राम पंचायत किशनपुरा ने भी वादी को ही मृतक रामनाथ का उत्तराधिकारी मानते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है इसलिए कब्जे काश्त व लगातार मृतक रामनाथ की आराजी को वादी काश्त कर रहा है और आज भी काबिज काश्त है। लेकिन इंतकाल नं. 175 दिनांक 16.07.1998 से मृतक रामनाथ की आराजी पर रामनाथ की जगह वादी के साथ साथ प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 के नाम भी दर्ज कर दिये गये हैं जो त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही रामनाथ की आराजी पर हिस्सा बनता है। वादी का उक्त वर्णित मृतक रामनाथ की आराजी पर कब्जा है जो कि लगभग 30–35 साल से चला आ रहा है। वादी रामनाथ का उत्तराधिकारी है लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 वादी को बलपूर्वक आराजी पर से बेदखल कर देना चाहते हैं जिनको की कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करें। वादी को वाद पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे और साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर अनाधिकृत प्रवेश न करें, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 164 हाल खाता संख्या 46 ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.34 हेक्टर का वादी हेमराज पुत्र ग्यारसीराम, जाति बैरवा, निवासी किशनपुरा, तहसील मांगरोल को

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि वादी हेमराज के अलावा खाते में अन्य सहखातेदारों के दर्ज नाम खारिज किये जाते हैं। काउंटर क्लेम प्रतिवादी नं. 1 खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की भी प्रसारित की जाती है कि वादी हेमराज के खाते में दर्ज आराजी कुल किता 6 रकबा 3.04 हेक्टर में प्रतिवादीगण दखलअन्दाजी ना करें। वादी को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवें। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद हेमराज ने रामनाथ का दत्तक पुत्र बनकर पेश किया है। वादी रामनाथ का दत्तक पुत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दत्तक पुत्र मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है तथा हेमराज मृतक रामनाथ का दत्तक पुत्र साबित नहीं कर सकता और ना ही उसकी वसीयत तथ्यों पर व कानूनी बिन्दु पर साबित हुई है। ना कोई रेस्पोडेंट का दस्तावेजी सबूत है, अतः निर्णय त्रुटिपूर्ण है। दत्तक ग्रहण में न्याय अहम तथ्य इस प्रकार अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति के परिवार ने गोद दिया है और किसी पुरूष और स्त्री ने इस गोद को स्वीकार किया है। ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादी को रामनाथ का दत्तक पुत्र मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया है उसकी मद नं. 6 के अनुसार उसके भाई छीतर को भी गोद पुत्र प्लीड किया है । यदि रामनाथ ने बचपन से ही गोद पुत्र रखा है तो फिर झूठी वसीयत फर्जी तौर पर बनवाई है। वसीयत झूठी है, बनावटी है, फर्जी है और रामनाथ की मृत्यु के बाद बनवायी गयी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही करके

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

त्रुटि की है। किस व्यक्ति द्वारा, कहां पर किस दिन, किस मिति तारीख को वसीयत आलेखित की है उसका भी उल्लेख नहीं है ना ही उसके लिखने वाले के हस्ताक्षर है, ना गवाह ने किस प्रकार के दस्तखत किए हैं यह भी उल्लेख नहीं है। वादी के गवाह पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2, पी डब्ल्यू 3, पी डब्ल्यू 4 से कोई वसीयत साबित नहीं हुई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को साबित मानकर त्रुटि की है। दत्तक की घोषणा सिविल न्यायालय में होती है। अधीनस्थ न्यायालय में दत्तक को घोषित मानकर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन निर्णय पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है । अतः निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है जो निरस्तनीय है। आज दिन तक दत्तक ने सिविल न्यायालय में दत्तक की घोषणा नहीं की है। वादी के पक्ष में मृतक ने कोई वसीयत नहीं की है। वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी है और रामनाथ व बिरधा की छोड़ी हुई भूमियों का अपीलांट प्रतिवादी कम 1 सहखातेदार पुश्तैनी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सहखातेदार हो गया है और अपीलांट का 1/2 हिस्सा उक्त विवादित भूमि में नियत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावे के साथ प्रतिवादी ने भूमियों के बाबत काउंटर क्लेम भी पेश किया है । काउंटर क्लेम की कोई तनकी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं बनाई है और जो तनकीयात कायम की है, वह गलत है। अधीनस्थ न्यायलय ने सभी तनकियात का निर्णय विरूद्ध अपीलांट पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 175 को अवैध घोषित किया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने कोलोजिव वाद पेश किया है जिसके तहत वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा हटाना चाहता है और जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से वाद पेश किया है। प्रतिवादी कम 1 अपीलांट का 1/2 हिस्सा विवादग्रस्त भूमि में निहित है। गोद पुत्र

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का कोई सबूत, स्कूल सर्टिफिकेट, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट तथा अन्य आधार पेश नहीं किये हैं । रामनाथ ने उसके जीवनकाल में किसी को कोई गोद नहीं लिया है, ना पगड़ी बंधवायी । पगड़ी से उत्तराधिकारी नहीं होता है तथा ग्राम पंचायत किशनपुरा ने गोद व वारिस प्रमाण पत्र देकर त्रुटि की है। ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र व गोदपुत्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने दत्तक पुत्र व खातेदारी के बाबत घोषणा नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत 1/2 हिस्से का सही खोला है। रेस्पोडेंट नं. 1 को उसके पिता से भूमि मिल चुकी है। रेस्पोडेंट नं. 1 का वादग्रस्त आराजी में केवल 1/2 हिस्से का 1/18 हिस्से का ही हकदार है। भूमियां पुश्तैनी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार कानून के मुताबिक निर्णय पारित नहीं करके त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया और अपीलांट की साक्ष्य बन्द करके निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2018 निरस्त किया जावे एवं गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि हेमराज ने रामनाथ का दत्तक पुत्र बताकर वाद पेश किया है। वादी उसका दत्तक पुत्र नहीं है, न रामनाथ का दत्तक पुत्र वादी रेस्पोडेंट साबित नहीं कर सका, वाद में उसकी वसीयत कानूनी बिन्दुओं पर साबित नहीं हुई है, न गोद पुत्र

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

साबित हुआ है, वादी के पास कोई दस्तावेजी सबूत/साक्ष्य न होने के बावजूद वादी को दत्तक पुत्र मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। वादी किसी भी अहम तथ्य को साबित नहीं कर सका है, कोई भी स्त्री पुरूष किसी भी बालक को गोद लेता है तो गोद पुत्र होने की समाज में प्रचलित रस्में अदा की जाती है और गोद पुत्र लेने वाले स्त्री पुरूष गोद लेने वाले बालक को अपनी गोद में बैठाते हैं ऐसी रस्म भी किया जाना साबित नहीं होता है। गोद लेने की रस्मों व प्रकिया में बालक को जो गोद देता है और जो गोद लेना है दोनों माता पिता की स्वीकृति व सहमति होती है ऐसा भी वादी साबित नहीं कर पाया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को गोद पुत्र मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। वसीयत रामनाथ की मृत्यु के बाद वसीयत बनाई गई है । वसीयत किस मिती, किस दिन को आलेखित की, किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, यह प्रमाणित नहीं होता है, लिखने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह के द्वारा भी वसीयत प्रमाणित नहीं की है। दत्तक पुत्र की घोषणा सिविल न्यायालय में घोषित होती है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है तथा पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से उत्तराधिकार कानून के तहत खातेदार हो गये हैं और अपीलांट का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने काउंटर क्लेम पेश किया है जिसकी कोई तनकी कायम नहीं की गई। वादी ने नामान्तरकरण संख्या 175 की कोई अपील नहीं की, न उस पर प्रदर्श डाला। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजत पर कोई गौर नहीं किया। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में कोलेजिव वाद प्रस्तुत किया है प्रतिवादी कम 1 का कब्जा हटाना चाहता है। अपीलांट का 1/2 हिस्सा उक्त आराजी में निहित है। केवल पगड़ी बांधने से उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता है। गोद पुत्र का प्रमाण पत्र पंचायत को देने का कोई अधिकार नहीं

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत सहभागीदार काश्तकार का हिस्सा मृतक के बाद निहित हो जाता है। वादी को उसके पिता की भूमि मिल चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज साबित करने का एवं काउंटर क्लेम को साबित करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने काउंटर क्लेम की कोई शहादत अथवा विवेचन अपने निर्णय में नहीं की है, काउंटर क्लेम के अनुसार विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा होने का भी विवेचन नहीं किया है, जिसको किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। वसीयत अनस्टाम्प, अनरजिस्टर्ड पेश की है जो फर्जी वसीयत है, रामनाथ ने उसके जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं लिखी। वसीयत का लिखने वाला कौन है, कहा लिखी गई, किस दिन लिखी गई यह भी कागज में अंकित नहीं है। मरने वाले की स्थिति किस अवस्था में थी इसका भी कोई हवाला नहीं है। वसीयत के बाबत जो दो गवाह बताये हैं उन दोनों गवाहों से वादी वसीयत सिद्ध नहीं कर पाया है। नामान्तरकरण संख्या 175 पर कोई प्रदर्श अधीनस्थ न्यायालय में नहीं डाला है। अतः नामान्तरकरण संख्या 175 को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी कम 1 को साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जबकि वादी को लगभग साक्ष्य के 25 अवसर दिये गये हैं दिनांक 03.12.2018 को प्रतिवादी हंसराज ने प्रार्थना पत्र में गवाह के बाबत दिया है किन्तु गवाह हंसराज को उक्त तिथि को उपस्थित धा उसकी तो गवाही ली जा सकती थी और अन्य गवाह के लिए समय दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने शहादत बंद करके कानूनी त्रुटि की है। ग्राम पंचायत को वारिस का प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनरथ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के द्वारा दिये गये वारिस प्रमाण पत्र को मानने में कानूनी त्रुटि की है जबकि सिविल न्यायालय को ही गोद पुत्र और वारिस प्रमाण पत्र पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है जिसकी घोषणा वादी ने नहीं की। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायहित में साक्ष्य व दस्तावेज प्रमाणित करने के लिये गवाह के लिये अपीलांट को अवसर देकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे.2002 पेज 347, आर.बी.जे. 2020 पेज 353, डी.एन.जे.2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 414, आर.बी.जे. 1999 पेज 72, डी.एन. जे. 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 543 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. टी. 2019(2) पेज 831, आर आर टी 2018–19(सप्ली.) पेज 316, 2022(1) डी एन जे पेज 71, 2006(2) डी एन जे राज. पेज 964, 2022(2) डी एन जे पेज 986, आर आर डी 1984 पेज 391 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। शंकर के चार पुत्र थे भैरूलाल, ग्यारस्या, बिरधा एवं रामनाथ थे। जिसमें बिरधा पुत्र शंकर तथा रामनाथ पुत्र शंकर ला औलाद फौत होना पाया गया । ग्यारस्या ने अपने दोनों पुत्र छीतर व हेमराज कमशः छीतर गोद पुत्र बिरधा व हेमराज गोद पुत्र रामनाथ को बनाया गया है। यदि ग्यारस्या अपने दोनों पुत्रों को गोद दे देता है तो ग्यारस्या की पैतृक सम्पत्ति पर किस का अधिकार होगा, यह सिद्ध नहीं होता है। गोद पुत्र छीतर व हेमराज ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, अंकतालिका जिसमें दत्तक पुत्र अंकित होना पाया जावे । दत्तक ग्रहण में न्याय अहम तथ्य इस प्रकार अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति के परिवार ने गोद दिया है और किसी पुरूष और स्त्री ने इस गोद को स्वीकार किया है। ऐसा कोई तथ्य दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादी को रामनाथ का दत्तक पुत्र मानने में त्रुटि की है। वसीयत रामनाथ की मृत्यु के बाद वसीयत जारी की गई है । वसीयत किस मिती, किस दिन को आलेखित की, किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई, यह प्रमाणित नहीं होता है लिखने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह के द्वारा भी वसीयत प्रमाणित नहीं की है। दत्तक पुत्र की घोषणा सिविल न्यायालय में घोषित होती है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है तथा पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से उत्तराधिकार कानून के तहत खातेदार हो गये हैं और अपीलांट का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । न्यायहित में साक्ष्य व दस्तावेज प्रमाणित करने के लिये गवाह के लिये अपीलांट को अवसर देकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः प्रकरण में न्याय संगत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2023 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/11/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा